ग्राम पंचायत पपाहन, विकास खण्ड फतेहपुर जिला काँगड़ा, हि॰ प्र॰ –176023 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. (क)प्रस्तावना

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत पपाहन, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा प्रथम बार किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधानः–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री नितिश कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्रीमती नीलम कुमारी	01.04.2022 से 31.03.2024

तकनीकी सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री अमित कुमार	01.04.2022 से 21.03.2023
2	श्री सुशील कुमार	22.03.2022 से 31.03.2024

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री अश्वनी कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत पपाहन के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषो में बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना	0.63
2	4.2	बचत बैंक खाते में शेष राशि का रोकड़ बही में लेखांकन न करना	0.11
3	5.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	7.45
4	6.1	पंचायत राजस्व/सम्पत्तिकर का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.32
5	6.2 व 6.3	विवाह पंजीकरण शुल्क का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.03
6	7.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक का क्रय करना	2.42
7	7.2 व 7.3	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना एवं नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख के अभाव में अनियमित भुगतान करना	0.56 1.70
8	8.1	निर्माण कार्यो के लिये सामग्री खरीद हेतु अधिक/अनियमित भुगतान करना	0.26
9	8.2	मनरेगा अनुदान के अंतर्गत सामग्री खरीद हेतु निर्धारित अनुपात से अधिक भुगतान करना	0.65
10	9	माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना	0.36

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत पपाहन के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 10.07.2024 से

23.07.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत की गई स्वः स्त्रोत व अनुदानों की हस्तगत रोकड़ बहियों के आधार पर किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः–

वर्ष	आय	व्यय
2022–23	03/2023	01/2023
2023–24	02/2024	06/2023

अस्वीकरणः–वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4800/– आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2024/312 दिनांक 23.07.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक चलवाडा के मल्टीसिटी चैक संख्या 659148 दिनांक 26.07.2024 द्वारा निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

4.1 (क).वित्तीय स्थितिः—

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का. /2024/296 दिनांकः—10.07.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट—1** में दिया गया हैः—

1.स्व—स्त्रोतः—

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4—5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	107743.50	330294.00	438037.50	314951.00	123086.50
2023-24	123086.50	363545.00	486631.50	410607.00	76024.50

2.अनुदानः—

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4—5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	1073636.75	4410761.80	5484398.55	3879329.55	1605069.00
2023-24	1605069.00	1863932.00	3469001.00	2723902.00	745099.00

कुल योग (1+2) 76024.50+745099=821123.50

(ख). बैंक समाधान विवरणीः—

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2024 को हस्तगत रोकड़ बहियों/वित्तीय स्थिति के अंतशेष ₹8,21,123.50 तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि **"परिशिष्ट—3"** के अनुसार अन्तशेष ₹7,57,820.50 से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः—

	बैंक खातों की विवरणीः–			
क्र	विवरण	बैक	खाता	अन्त शेष (₹)
1	स्वःस्त्रोत / तीसरा वित / सी. डी.पी.ओ	का•के•सह•बैंक चलवाडा	20165026828	35560.50
2	टी.एस.सी	का•के•सह•बैंक चलवाडा	50054930203	0
3	वी.के.वी.एन.वाई / एस.डी.पी	का•के•सह•बैंक चलवाडा	50054930101	480008
4	जेड.पी	का•के•सह•बैंक चलवाडा	50054930054	0
5	पी.एस	का•के•सह•बैंक चलवाडा	50054930087	0
6	एम.पी.लेड.	का•के•सह•बैंक चलवाडा	50054930112	257
7	14वॉं वित्तायोग	का•के•सह•बैंक चलवाडा	50062990978	0
8	15वॉंवित्त / पी.एस / जेड.पी	का•के•सह•बैंक चलवाडा	50071868563	241347
	हस्तगत शेष			648
बैंक खातों व हस्तगत षेष का दिनांक 31.03.2023 का कुल योगः–				₹757820.50
दिनांक 31.03.2023 को बैंक समाधान विवरणी :–				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार (पैरा 4) अन्तशेषः–				₹821123.50
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2023 का अन्तशेषः–				₹757820.50
अन्तरः–				₹63303

नोटः– अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना।

(ग) रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि ₹0.63 लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जानाः–

ANNUAL REPORT

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत पपाहन द्वारा हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2024 को हस्तगत रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹63,303/- का अन्तर रोकड़ बही में अधिक शेष के रूप में था, जिसका विस्तृत ब्यौरा

पैरा–4 में दिया गया है। फलस्वरूप पंचायत के लेखें सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाते हैं एवं इस राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी अंकेक्षण में इन्कार नहीं किया जा सकता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/302 दिनांकः–19.07.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–03 दिनांकः– 23.07.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा। प्रस्तुत उतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा अन्तर की राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करना सुनिश्चित की जाये तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करते हुये बैंक एंव रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(घ) खाता–क व खाता–ख का नियमानुसार रख–रखाव न रखनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिये पंचायत निधि खाता–क खोला जायेगा। इसी तरह नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनो के लिये आबंटित निधियां और प्राप्त ऋण हेतु खाता–ख खोला जायेगा। इसके अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच–एच.ए (5) सी (15) –(13) (एल) 5–47005–81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

ग्राम पंचायत पपाहन द्वारा स्वः स्त्रोत व अनुदान राशि का खाता–क व खाता–ख अलग–अलग से तैयार नहीं किया गया था बल्कि स्वः स्त्रोत व अनुदानो जैसे कि तीसरा वित,

सी.डी.पी.ओ इत्यादि की सयुंक्त हस्तगत रोकड़ बही लगाई गई थी तथा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार स्वः स्त्रोत, तीसरा वित व सी.डी.पी.ओ आदि शीर्षो के अन्तर्गत नियमों एवं निर्देशों के विरूद्ध संयुक्त खाता संख्या 20165026828 खोला गया था, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है, जोकि नियमों के विपरीत है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नही किया जा सकता।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/311 दिनांकः–23.07.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या–03 दिनांकः–23.07.2024 द्वारा दिया गया उत्तर कि खाता–क व खाता–ख का अलग–अलग अनुसंधारण कर दिया जायेगा, निमानुकूल न होने एवं तथ्यरहित होने के कारण सन्तोषजनक नहीं है।

अतः नियमानुसार रोकड़ बही एवं बैंक खातों का रख–रखाव न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में खाता–क व खाता–ख के अनुरूप रोकड़ बही एवं बैंक खातों का स्कीमवार का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

4.2 बचत बैंक खाते में जमा ₹0.11 लाख की राशि का रोकड़ बही में लेखाँकन न करनाः–

ANNUAL REPORT

प्रस्तुत अभिलेख के अंकेक्षण में पाया गया कि भारतीय स्टेट बैंक फतेहपुर के बचत खाता संख्या 11690387668 जिसमें दिनाँक 31.03.2020 तक ही प्रविष्टियां पाई गईं, में दर्शाई गई ₹10961/– की राशि जमा थी, का लेखाँकन किसी भी रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त दिनांक 31–03–2024 तक उक्त खाते में कितनी राशि जमा थी, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई तथा पंचायत की रोकड़ बहियों में भी निधि का वास्तविक शेष नहीं दर्शाया गया था, जो कि लेखांकन के मूल सिद्धांतों की अवहेलना है। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/311 दिनांकः–23.07.2024 द्वारा आग्रह किया गया। जिसके प्रत्युत्तर

में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या–03 दिनांकः–23.07.2024 द्वारा सूचित किया है कि इस पुराने बैंक बचत खाते में केवल ब्याज की राशि ही जमा थी तथा इस खाते को अद्यतन (Update) करवाने पश्चात इस राशि को नियमानुसार पंचायत निधि के बैंक खाता में जमा करके लेखाँकित कर लिया जायेगा।

अतः अब इस अनियमितता बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई करते हुए इस राशि का यथोचित लेखाँकन सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5.1 अनुदान राशि ₹7.45 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः–

ANNUAL REPORT

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/296 दिनांकः–10.07.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट–1 व परिशिष्ट–2** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹7,45,099/– की राशि उपयोग हेतु शेष थीः–

क.स.	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1.	वी.के.वी..एन.वाई/एस.डी.पी	31.03.2024	503495
2.	एम.पी.लेड.	31.03.2024	257
3	15वाँवित्त/पी.एस/जेड.पी	31.03.2024	241347
		कुल जोड	**745099**

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षो के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यो का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने से यह पंचायत पीछे है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/303 दिनांक–

19.07.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 03 दिनांकः–23.07.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि शेष अनुदान राशि को आगामी समय में व्यय करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

5.2 अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 61(1) के अंतर्गत उल्लेखित फार्म 21 के अनुसार अनुदान रजिस्टर का संधारण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्रस्तुत अनुदानों की वित्तीय स्थिति का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

अतः भविष्य में नियमो के अनुसार रजिस्टर तैयार एवं अद्यतन (Update) करके समस्त प्राप्त अनुदान व अनुदान राशि से किये गये व्यय का लेखाकंन अनुदान रजिस्टर में करने उपरान्त अंकेक्षण सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

6.1 सम्पति कर/गृहकर ₹0.32 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत द्वारा सम्पति कर/गृहकर की वसूली की जानी अपेक्षित है तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय/अदत (Outstanding) नहीं रखी जाएगी।

ANNUAL REPORT

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/296 दिनांकः–10.07.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट ''4''** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्तिकर/गृहकर के रूप में **₹31875/–** की राशि दिनांक 31.03.2024 को वसूली हेतु शेष थी। सम्पत्तिकर/गृहकर राशि का बिना पर्याप्त कारणो के बिना वसूली हेतु शेष पाया जाना यह स्पष्ट करता है कि पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत के सम्पति कर/गृहकर का मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर को भी तैयार नहीं किया गया अथवा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया ,जिसके अभाव में **परिशिष्ट ''4''** पर दर्शाए गए दिनांक 01.04.2022 को अथशेष व दिनांक 31.03.2024 को सम्पति कर/गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष राशि की सत्यता की पूर्ण पुष्टि नहीं की जा सकी।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/304 दिनांकः–19.07.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के अपने कार्यालय पत्र संख्याः– 03 दिनांकः–23.07.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि सम्पति कर/गृहकर की बकाया राशि की वसूली करने उपरान्त निधि में जमा करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में भी इसकी वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए तथा सम्पति कर/गृहकर का मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर को तैयार करना सुनिश्चित करके सुधारात्मक कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.2 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹0.03 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :–

ANNUAL REPORT

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अनुसार विवाह के पंजीकरण हेतु ₹200 (सामान्य श्रेणी) व आई.आर.डी.पी / बी.पी.एल. श्रेणी के लिये ₹25 पंजीकरण शुल्क व 30 दिनों के बाद 90 दिनों के भीतर ₹400 (सामान्य श्रेणी) से व ₹50 आई.आर.डी.पी / बी.पी.एल से प्रति विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्त करके सरकारी कोष में जमा करवाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क रजिस्टर के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि प्रस्तुत **परिशिष्ट ''5''** पर संलग्न सूचना के अनुसार 16 विवाह पंजीकृत किये गये थे, जिस हेतु ₹200 / 400 की दर से कोई राशि नहीं वसूली गई थी, जबकि उक्त वर्णित दरों के अनुसार ₹3200 प्राप्त किये जाने अपेक्षित थे।

उक्त कम प्राप्ति का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2024 / 304 दिनांकः–19.07.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत पपाहन के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–03 दिनांकः–23.07.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि बकाया विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली करने उपरान्त सरकारी कोष में जमा करवा दी जायेगी।

अतः उक्त देय राशि की अविलम्ब प्राप्ति सुनिश्चित करते हुये सरकारी कोष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

ANNUAL REPORT

6.3 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त की गई राशि ₹0.03 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारेः–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित

दर से प्राप्त करने उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता सख्या ''0070–60–108–01'' में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान निम्न तालिका व संलग्न **परिशिष्ट ''6''** के अनुसार ग्राम पंचायत पपाहन द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 व 2023–24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्ति राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था:–

क्र0सं0	**वित्तीय स्थिति**	**विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त गई राशि**
1.	2022–23	1400
2	2023–24	1800
	जोड	**3200**

उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/304 दिनांकः–19.07.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत पपाहन के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 03 दिनांकः–23.07.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि सरकारी कोष में जमा करवा दी जाएगी।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

ANNUAL REPORT

7.1 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.42 लाख के स्टॉक का क्रय करनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67, 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित आपूर्ति आदेश, निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

ग्राम पंचायत पपाहन के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट—"7"** में दिए गए विवरणानुसार ₹2,42,622/— का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उक्त व्यय करते समय बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया था।

उपरोक्त अनियमितत्ता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/306 दिनांकः—22.07.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः— 03 दिनांकः—23.07.2024 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करके सामान क्रय किया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये इस को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

ANNUAL REPORT

7.2 खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करने फलस्वरूप सरकारी कोष को ₹0.56 लाख की राजस्व हानि एवं समय—2 पर जारी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने के फलस्वरूप लाखों रूपये के अनियमित भुगतानः—

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81—ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व

माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्लयू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरो से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा, परन्तु निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD & PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अन्तर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं (Contractors/tendors) से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा उन्हें भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फार्म "X" या " W" जमा करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–''8''** पर संलग्न चुनिंदा वाउचरों के तहत निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को चुनिंदा मासों के दौरान ₹56691/– का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है एवं पूर्वोक्त नियम प्रावधानों एवं समय–2 पर जारी आदेशों एवं निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना है, जिससे स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि में किये गये समस्त भुगतान अनियमित है।

इस अनियमितता में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/307 दिनांकः–22.07.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 03 दिनांकः–23.07.2024 द्वारा सूचित किया गया कि निर्माण कार्यों हेतु गत समय में क्रय की गई सामग्री रेत, बजरी, बोल्डर से सम्बन्धित एम फॉर्म को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा उक्त सामग्री से रॉयल्टी की राशि की वसूली भी नहीं की गई है। अंकेक्षणापतिनुसार उक्त रॉयल्टी की राशि की वसूली सम्बन्धित संविदाकार/व्यक्ति से कर ली जायेगी। प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया। क्योंकि ट्रांजिट पास फॉर्म को उपलब्ध न करवाने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री की राशि का भुगतान

रॉयल्टी की कटौती 25 प्रतिशत पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था तथा उक्त पत्र में वर्णित निर्देशानुसार समस्त भुगतान वैध ट्राजिंट पास "X" या " W" प्राप्ति उपरान्त ही किये जाने थें।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को नियमाविरूद्ध एवं समय–2 पर जारी निर्देशों के विरूद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को उनके पूर्ण विवरण सहित या तो समर्थित अपेक्षित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा किसी संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा अंकेक्षण अवधि के दौरान किये गये समस्त अनियमित भुगतानों के विस्तृत/पूर्ण विवरण सहित इन्हें सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7.3 निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स के क्रय हेतू ₹1.70 लाख के अनियमित भुगतान बारेः–

सचिव (RD&PR) हि० प्र० सरकार के पत्र संख्या No.PCH-HC(10) FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री के अंतर्गत निम्नविवरणानुसार पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हि० प्र० सरकार के स्वीकृत माध्यम नियंत्रक भंडार के Rate Contract अथवा Gem Portel से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से निविदाये आमंत्रित करके किया गया था तथा न हीं ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पत्र में वर्णित प्रावधान It will be mandatory for the concerned technical authority to give justification of the rates in the estimate.Before placing the supply order or awarding the work to lowest bidder justification of rates may be prepared and got approved from the one step up authority who has accorded Technical sanction. अनुसार निर्माण कार्यों हेतु अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई गई थी, फलस्वरूप किया गया भुगतान अनियमित प्रतीत होता है, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।

ANNUAL REPORT

क.	अनुदान	वाउचर सं/दिनांक	मास	विवरण	मात्रा	राशि(₹)
1	15TH FC	68/30.01.2023	01/2023	60mm(Paver Block) from M/s AP Tiles Harnota Jawaki Bill No 107 dt.-24.01.2023	1280	20480
2	15TH FC	69/30.01.2023	01/2023	60mm(Paver Block) from M/s AP Tiles Harnota Jawaki Bill No 109 dt.-24.01.2023	4096	65539
3	15TH FC	70/30.01.2023	01/2023	60mm(Paver Block) from M/s AP Tiles Harnota Jawaki Bill No 108 dt.-24.01.2023	1650	26401
4	SDP	54/30.01.2023	01/2023	60mm(Paver Block) from M/s AP Tiles Harnota Jawaki Bill No 110 dt.-24.01.2023	3600	57603
					योग	170023

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/308 दिनांकः–22.07.2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा पत्र संख्याः– 03 दिनांकः–23.07.2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अनियमित व्यय जानकारी के अभाव में किया गया है। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये उक्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही पेवर ब्लॉक्स का क्रय करना सुनिश्चित करें।

8.1 विभिन्न निर्माण कार्यो के लिये सामग्री खरीद हेतु ₹0.26 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान करना :-

1. निर्माण रास्ता मेन रास्ते से परस राम के घर तक वार्ड–4 की रिकार्ड प्रविष्टियां का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न तालिका के अनुसार माप पुस्तिका संख्या 14060 के पृष्ठ संख्या 53 व 54 में निर्माण सामग्री टाईलस पेवर ब्लॉक्स का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या 108 दिनांक 24.01.2023 के

ANNUAL REPORT

अनुसार निर्माण सामग्री टाईलस पेवर ब्लॉक्स 1650 का क्रय किया गया था। परिणामस्वरूप मूल्यांकन की अपेक्षा सामग्री की अधिक खपत दर्शाने/जारी करने के कारण ₹11504 का अधिक भुगतान किया गया था:–

2. निर्माण रास्ता रोड से सुखविन्द्र सिंह के घर तक वार्ड–2 की रिकार्ड प्रविष्टियां का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न तालिका के अनुसार माप पुस्तिका संख्या 14060 के पृष्ठ संख्या 61 व 62 में निर्माण सामग्री टाईलस पेवर ब्लॉक्स का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या 110 दिनांक 24.01.2023 के अनुसार निर्माण सामग्री टाईलस पेवर ब्लॉक्स 3600 का क्रय किया गया था। परिणामस्वरूप मूल्यांकन की अपेक्षा सामग्री की अधिक खपत दर्शाने/जारी करने के कारण ₹9776 का अधिक भुगतान किया गया था:–

3. निर्माण सुरक्षा दीवार भूमि कटाव को रोकने हेतु तलाब के किनारे वार्ड–3 की रिकार्ड प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार माप पुस्तिका संख्या 14060 के पृष्ठ संख्या 45 में निर्माण सामग्री रेत का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या 005 दिनांक 28.03.2023 के अनुसार निर्माण सामग्री रेत 39m3 (क्रैशर व लोकल) का क्रय किया गया था। परिणामस्वरूप मूल्यांकन की अपेक्षा सामग्री की अधिक खप्त दर्शाने/जारी करने के कारण ₹4500/– का अधिक भुगतान किया गया था:–

क्र0 सं0	अनुदान	सामग्री	क्रय की गई सामग्री की मात्रा	निर्माण कार्यो पर उपयोग हुई सामग्री की मात्रा	अंतर	दर	राशि
1.	15वां वित	पेवर ब्लॉक्स	1650	931	719	16	11504
2.	एस.डी.पी	पेवर ब्लॉक्स	3600	2989	611	16	9776
3.	मनरेगा	रेत	क्रैशर–25m3 लोकल–14m3	36m3	3m3	1500	4500
					कुल जोड		25780

वास्तविक खप्त योग्य सामग्री का विवरण :–

1. Item-3 Second Class dry brick flooring including filling joint with sand 60mm =28.2m2X 33(Tiles Factor) =**930.6 or say 931 Tiles**

2.Item-3 Second Class dry brick flooring including filling joint with sand 60mm =90.57m2X 33(Tiles Factor) =**2988.81 or say 2989 Tiles** 3.Item-4 P/L(1:5:10) =73.5m3X 0.47(Sand. Factor) +5%(Variations) =**36.27m3 or say 36m3**

इन अनियमितताओं बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/309 दिनांकः–23.07.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्यः–03 दिनांक 23.07.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली संबंधित व्यक्ति/संविदाकार से करने उपरान्त सम्बन्धित खाते में जमा करवा दी जाएगी। प्रस्तुत प्रतिउतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अनियमित/अधिक भुगतान की गई राशि बारे नियमानुसार तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित खाते में जमा करवाना सुनिश्चित की जाये व कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

ANNUAL REPORT

8.2 मनरेगा अनुदान के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की जमीन पर कार्य करवाने के लिये सामग्री खरीद हेतु निर्धारित अनुपात अनुसार व्यय न करके ₹0.65 लाख का अधिक भुगतान करनाः–

ग्रामीण विकास विभाग के पत्र संख्या– SMS-1/2021-22-RDD-Implementation-MGNREGA- 5684-5808 , Dated:-25-05-2022 के अनुसार The amount of component which is to be reimbursed in the account of individual beneficiaries shall be restricted to the maximum of 40% of the actual total cost of the work by applying the following formula:-Actual unskilled labour cost X 2/3= material cost के अनुसार भुगतान किया किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार करवाये गये कार्यों में उक्त नियमानुार भुगतान न करके ₹65647 का अधिक भुगतान किया गया थाः–

अनुदान	वाउचर स0/दि0	बिल स0/दि0	कार्य का नाम	अपेक्षित भुगतान (Unskilled +Material) ₹	किया गया भुगतान ₹	अधिक भुगतान ₹
1 मनरेगा	92/03.01.2023	021/08.08.2023	नि0 गउशाला प्रकाश चन्द वार्ड–3	62540 (37524+37524 X2/3)	72624	10084
2 मनरेगा	04/28.06.2023	190/21.12.2022	नि0 गउशाला कृष्ण चन्द वार्ड–2	20977 (12586+12586 X2/3)	27186	6209
3 मनरेगा	06/27.06.2023	191/21.12.2022	नि0 गउशाला रणजीत सिंह वार्ड–3	20585 (12351+12351 X2/3)	26951	6366
4 मनरेगा	08/28.06.2023	196/21.12.2022	नि0 गउशाला करतार सिंह वार्ड–5	62187 (37312+37312 X2/3)	72912	10725
5 मनरेगा	10/28.06.2023	198/21.12.2022	नि0 गउशाला अशोक कुमार वार्ड–3	21553 (12932+12932 X2/3)	26432	4879
6 मनरेगा	12/27.06.2023	194/21.12.2022	नि0 गउशाला शिशुपाल वार्ड–3	22613 (13568+13568 X2/3)	27068	4455
7 मनरेगा	14,15/27,30.06.2023	195,309/21,29.12.2022	नि0 गउशाला पुषिंदर सिंह वार्ड–4	57240 (34344+34344 X2/3)	69944	12704
8 मनरेगा	16/27.06.2023	007/18.02.2023	नि0 सुरिन्द्रा कुमारी पत्नी देशराज वार्ड–5	62187 (37312+37312 X2/3)	72412	10225
					कुल जोड	65647

मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत सामग्री पर अधिक व्यय करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/310 दिनांकः–23.07.2024

द्वारा पंचायत के ध्यान में लाया गया, जिसके प्रतिउतर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 03 दिनांक 23.07.2024 द्वारा सूचित किया गया कि मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी निर्माण कार्य हेतु खरीदी गई सामग्री के लिये अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली संबंधित संविदाकार/व्यक्ति से करके तथा सम्बन्धित खाते में जमा करवा दी जायेगी। प्रस्तुत प्रतिउतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उपरोक्त किये गये अधिक भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत इसकी वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा सम्बन्धित शीर्ष में जमा करवाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

8.3 मुरम्मत कार्य शौचालय आंगनबाडी केन्द्र गांव डूगी में माप पुस्तिका में गलत जोड करने से वास्तविक मूल्याकंन से अधिक ₹975/– का अधिक भुगतान करने बारे।

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 76 के अनुसार यदि किसी बिल/वाउचर का वास्तविक राशि से अधिक भुगतान किया जाता है तो पंचायत सचिव व्यक्तिगत तौर पर तत्परता से अधिक किये गये भुगतान का वसूली करने का जिम्मेवार होगा।

अंकेक्षण के दौरान, चयनित माह 01/2022 के व्यय वाउचर के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मस्टोल संख्या 14 दिनांकः– 11.01.2023 द्वारा ₹12010 का भुगतान किया गया। परन्तु माप पुस्तिका संख्या 14060 के पृष्ठ संख्या 41 में मद 1 व 2 के राशि के गलत जोड़ करने से वास्तविक मूल्यांकन से निम्न तालिका के अनुसार राशि ₹975/– का अधिक भुगतान किया गया थाः–

क्र0सं0	अनुदान	वाउचर सं0/दिनांक	मास	वास्तविक मूल्यांकित राशि	अपेक्षित भुगतान योग्य राशि	भुगतान की गई राशि	अधिक भुगतान की गई राशि
1.	सी.डी.पी.ओ	52/11.01.23	01/2023	11035	11035	12010	975

उक्त किये गए अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/311 दिनांकः–23/07/2024 के अंतर्गत पंचायत सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के अपने कार्यालय पत्र संख्याः–03 दिनांकः–23.07.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि सम्बन्धित फर्म/संविदाकार से वसूली करके, सम्बन्धित खाते में जमा करवा दी जायेगी।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त अधिक किये गये भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित शीर्ष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

9 ₹0.36 लाख के निर्माण कार्यो की माप पुस्तिकाओं को प्रस्तुत न करने बारेः–

ANNUAL REPORT

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान, चयनित माह के व्यय वाउचरों के समर्थन में निम्न तालिका के अनुसार राशि ₹36252/– के निमार्ण कार्यो की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सकाः–

क्र0 सं0	अनुदान	वाउचर संख्या/ दिनांक	निर्माण कार्य का नाम	राशि (₹)
1	मनरेगा	निल/19.06. 23,19.07.23	गांव सिद्धान्ता नहर की नालियों की साफ–सफाई वार्ड–4	36252

उक्त निमार्ण कार्य की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे सचिव ग्राम पंचायत पपाहन से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/311 दिनांकः– 23/07/2027 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके

प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–03 दिनांक 23/07/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि आगामी अंकेक्षण में माप पुस्तिकाओं को प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न कर पाने का नियमानुसार तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 101 (2) (iii) की अनुपालना सुनिश्चित करते हुये अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

10 संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹15.21 लाख का अनियमित भुगतान करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49 (1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 01/2023 व 06/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹15,20,935/– का भुगतान किया गया था जोकि उक्त नियमो की स्पष्ट अवहेलना है, जिसके अभाव में किये गये भुगतानो की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकती। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

इस गम्भीर प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/311 दिनांकः–23.07.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत पपाहन के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के अपने कार्यालय पत्र संख्याः– 03 दिनांकः– 23.07.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वतर्मान समय से इन नियमो की अनुपालना की जा रही है।

अतः नियमो के विरूद्ध किये गये भुगतानो को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये तथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियां:–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण जाँच उपरान्त तथा पैरा संख्या "7.3" के अंतर्गत दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:–

1. नियम 104(2)(1) तथा 105 की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जाँच ;मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

2. किसी भी योजना में निर्माण सामग्री आपूर्ती के बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

3. ग्राम पंचायत द्वारा करवाये विभिन्न निर्माण कार्यो के प्ररूप–34, जिसमें कि कार्य का पूर्ण आय–व्यय ब्यौरा शामिल होता है, उन्हे भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

4. निर्माण कार्यो के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस,रायल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की थी।

इन अनियमितताओ बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/311 दिनांकः– 23.07.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत पपाहन को अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 03 दिनांकः– 23.07.2024 द्वारा सूचित किया गया कि वतर्मान समय से इन नियमो की अनुपालना की जा

रही है तथा विभिन्न निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्रपत्र–34 को भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया इन्हे तैयार करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखो का अनुरक्षण न करनाः–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि॰प्र॰ पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/296 दिनांकः 10.07.2024 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 03 दिनांकः– 23.07.2024 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखो का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी। लेखांकन प्रक्रिया में अपूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	वर्गीकत सार	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30

4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	——	7(3) एवं 10(1) तथा ''प्रारूप–5'' के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
6	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	निर्माण कार्य रजिस्टर	....	103
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर	....	....

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इन अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

13. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। अतः समय–समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/296 दिनांकः–10.07.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 03 दिनांकः– 23.07.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत प्रतीत नही होता है।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपतियांः–

14.1 रसीद बुकों का स्टॉक नियमानुसार न रखा जानाः–

रसीद बुको के स्टॉक के अवलोकन में पाया गया कि इसे हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (5) के प्रावधानो के अनुसार नहीं रखा जा रहा है। इस नियम के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त खाली रसीद बुकों

का अभिलेखन सामान्य स्टॉक रजिस्टर से अलग हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में प्रावधित फॉर्म–2 में रसीदो के स्टॉक रजिस्टर में रखा जायेगा।

इसके अतिरिक्त हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13 (5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि वह जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत/खाली रसीदो को प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप–4 के अनुसार बनाए गये स्टॉक रजिस्टर में रखे। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान इस प्रकार का कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया था, जिस कारण से अंकेक्षण अवधि के दौरान खरीदी गई तथा प्रयोग की गई रसीदो का न तो संकलित विवरण तैयार किया जा सका तथा न ही अंकेक्षण जाँच संभव हो पाई है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि के दौरान लेखांकित की गई आय भी रसीदो के अभिलेख के अभाव में संदिग्ध हो जाती है। अतः इस अनियमितता के बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इस अवधि के दौरान खरीदी गई रसीदों का अभिलेख पंचायत अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके इनके प्रयोग का विवरण तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

14.1 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1) के अनरूप लेखों का रख रखाव ग्राम पंचायत पपाहन द्वारा नहीं किया गया था। जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। ग्राम पंचायत पपाहन के चयनित मासो के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थे।

अतः भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

15 **लघु आपति विवरणिकाः**— लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

16 **निष्कर्षः**— लेखों के रख रखाव में हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय–2 पर जारी विभिन्न निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है जिस कारण से लेखों के रख–रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

'25 SEP 2024

का0/प्रति0

4578 – 4582

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)428/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत पपाहन, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

25 SEP 2024'

का0/प्रति0

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

ANNEXURE -1 (पैरा संख्या 4.1(क))

FINANCIAL POSITION OF GP PAPAHAN FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	107743.50	330294.00	438037.50	314951.00	123086.50
2023-24	123086.50	363545.00	486631.50	410607.00	76024.50

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1073636.75	4410761.80	5484398.55	3879329.55	1605069.00
2023-24	1605069.00	1863932.00	3469001.00	2723902.00	745099.00

Neelam Kumar

पंचायत सचिव
ग्राम पचायत पपाहन
वि०ख० फतेहपुर कांगड़ा (हि०

29

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP PAPAHAN FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	TSC	2022-23	25936.00	189.00	26125.00	26125.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	VKVNY/SDP	2022-23	22552.00	1525218.00	1547770.00	802669.00	745101.00
		2023-24	745101.00	516316.00	1261417.00	757922.00	503495.00
3	ZP	2022-23	18870.00	538.00	19408.00	0.00	19408.00
		2023-24	19408.00	168.00	19576.00	19576.00	0.00
4	PS	2022-23	3502.00	60.00	3562.00	3562.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	MPLAD	2022-23	241.00	8.00	249.00	0.00	249.00
		2023-24	249.00	8.00	257.00	0.00	257.00
6	14TH FC	2022-23	0.75	6659.25	6660.00	6660.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	15TH FC/ZP/PS	2022-23	1002535.00	1270233.00	2272768.00	1432457.00	840311.00
		2023-24	840311.00	177542.00	1017853.00	776506.00	241347.00
8	MNREGA	2022-23	0.00	1607856.55	1607856.55	1607856.55	0.00
		2023-24	0.00	1169898.00	1169898.00	1169898.00	0.00

Neelam Kumari

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत पपाहन
वि०ख० फतेहपुर कांगड़ा (हि०

30

परिशिष्ट–3(पैरा संख्या 4.1(ख))

कार्यालय ग्राम पंचायत पपाहन विकास खण्ड फतेहपुर,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176023

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत पपाहन के दिनांक 01.04.2022 व 31.03.2024 को बैंक शेष –

क	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक शेष 01.04.22को	बैंक शेष 31.03.24 को
1	स्वःस्त्रोत / तीसरा वित / सी.डी.पी.ओ	का•के•सह•बैंक चलवाड़ा	20165026828	107743.50	35560.50
2	टी.एस.सी	का•के•सह•बैंक चलवाड़ा	50054930203	25936	0
3	वी.के.वी..एन.वाई / एस.डी.पी	का•के•सह•बैंक चलवाड़ा	50054930101	22552	480008
4	जेड.पी	का•के•सह•बैंक चलवाड़ा	50054930054	18870	0
5	पी.एस	का•के•सह•बैंक चलवाड़ा	50054930087	3502	0
6	एम.पी.लेड.	का•के•सह•बैंक चलवाड़ा	50054930112	241	257
7	14वाँ वित्तायोग	का•के•सह•बैंक चलवाड़ा	50062990978	0.75	0
8	15वाँ वित्त / पी.एस / जेड.पी	का•के•सह•बैंक चलवाड़ा	50071868563	1002535	241347
9	हस्तगत (हस्तगत रोकड.बही के अनुसार)				648
			कुल जोड.	**1181380.25**	**757820.50**

Neelam Kumari
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत पपाहन
वि०ख० फतेहपुर कांगड़ा (हि०

Checked

परिशिष्ट–4 (पैरा संख्या –"6.1")

कार्यालय ग्राम पंचायत पपाहन विकास खण्ड फतेहपुर,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176023

दिनांक 31–03–2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पति कर/गृहकरः–

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2022–23 में 460 तथा 2023–24 में 470 परिवारों का रु 30/40 व 50/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर सेः–

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि ₹
2022–23	11565	460	30/40	17060	28625	20000	8625
2023–24	8625	470	50	23500	32125	250	31875
	नोटः– दिनाँक 31.03.2023 को बकाया सम्पति कर/गृहकर की राशि **₹31875**/– है।						

checked 20/3/...

पंचायत सचिव Neelam Kumar
ग्राम पचायत पपाहन
वि०ख० फतेहपुर कागडा (हि०

कार्यालय ग्राम पंचायत पपाहन, विकास खण्ड फतेहपुर, ज़िला कांगड़ा हि०प्र० 176023

दिनांक 31.03.2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष विवाह शुल्क

क्र० सं०	नाम	विवाह शुल्क रजि0क0स0	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	वसूली हेतु शेष राशि
1	दीपेश कुमार	7	12.05.2022	23.05.2022	200	0	200
2	विक्रम जीत	9	09.05.2022	07.06.2022	200	0	200
3	अंकुश कुमार	10	01.06.2022	17.06.2022	200	0	200
4	अंकुश कुमार	14	14.08.2022	24.08.2022	200	0	200
5	राम लाल	20	10.10.2022	27.10.2022	200	0	200
6	संदीप कुमार	4	07.02.2023	17.02.2023	200	0	200
7	मोहित कुमार	5	25.01.2023	17.02.2023	200	0	200
8	हितेषक भाकल	6	09.02.2023	25.02.2023	200	0	200
9	रविन्द्र सिहोता	9	17.02.2023	03.03.2023	200	0	200
10	विकल्प चौधरी	10	17.02.2023	06.03.2023	200	0	200
11	पंकज कुमार	16	12.05.2023	30.05.2023	200	0	200
12	रजत कुमार	22	23.10.2023	18.11.2023	200	0	200
13	राहुल	24	28.11.2023	04.12.2023	200	0	200
14	मोहित भरद्वाज	25	22.11.2023	04.12.2023	200	0	200
15	शुभम	26	18.11.2023	12.12.2023	200	0	200
16	रवि कुमार	27	29.11.2023	23.12.2023	200	0	200
				कुल	₹ 3,200.00	₹ 0.00	₹ 3,200.00

Neelam Kumar
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत पपाहन
वि०ख० फतेहपुर कांगड़ा (हि०)

Checked

परिशिष्ट – "C" (पैरा संख्या "6.3")

कार्यालय ग्राम पंचायत पपाहन

विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

प्र. सं. .... अध्यक्षता.. दिनांक...............................

विषय :–

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत पपाहन द्वारा अवधि ~~2022-23~~ 2023-24 में प्राप्त की गई विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि निम्न तालिका अनुसार है। –

क्रम संख्या	अवधि	प्राप्त की गई राशि
1.	2022-23	1400/-
2.	2023-24	1800/-

कुल योग = 3200/-

Neelam Kumari

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत पपाहन
वि०ख० फतेहपुर कांगड़ा (हि०

34

परिशिष्ट-7 (पैरा संख्या-"4.1")

ग्राम पंचायत पपाहन विकास खण्ड फतेहपुर जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश, औपचारिकताओं को पूर्ण किये विना स्टॉक/स्टोर कय करना।

अनुदान	वो.स./दिनांक	समाग्री का विवरण	विल.स./दिनांक	आपूर्तिकर्ता	मात्रा	रेट	राशि ₹	टिप्पणी
1.SDP/VKNNY	50/11.01.2023	Brick (With GST)	1274/02.01.2022	M/S Desh Raj Thakur G.Cont. Pucca Tiala	9000	8.49966	76496.94	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
2.SDP/VKVNY	51/10.01.2023	Sariya	9770/06.01.2023	M/S Hitesh Trading Co. Kehrian Chowk Jawali	—	—	76500	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
3.NREGA	02/27.06.2023	Stone	189/21.12.2022	M/s Anil Kumar Papahan Jhonka Ratial	3m3	1200	3600	एक निविदा प्रस्तुत की गई
4.NREGA	04/27.06.2023	Stone	190/21.12.2022	M/s Anil Kumar Papahan Jhonka Ratial	3m3	1200	3600	एक निविदा प्रस्तुत की गई
5.NREGA	06/27.06.2023	Stone	191/21.12.2022	M/s Anil Kumar Papahan Jhonka Ratial	3m3	1200	3600	एक निविदा प्रस्तुत की गई
6.NREGA	08/28.06.2023	Stone	196/21.12.2022	M/s Anil Kumar Papahan Jhonka Ratial	9m3	1500	13500	एक निविदा प्रस्तुत की गई
7.NREGA	14/27.06.2023	Stone	195/21.12.2022	M/s Anil Kumar Papahan Jhonka Ratial	9m3	1500	13500	एक निविदा प्रस्तुत की गई
8.NREGA	16/27.06.2023	Stone	007/21.12.2022	M/s Anil Kumar Papahan Jhonka Ratial	9m3	1500	13500	एक निविदा प्रस्तुत की गई
9.NREGA	19/27.06.2023	Stone	006/18.02.2023	M/s Anil Kumar Papahan Jhonka Ratial	25.5m3	1500	38325	एक निविदा प्रस्तुत की गई
							242621.94	

Neelam Kumari
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत पपाहन
वि०ख० फतेहपुर कांगडा (हि०)

checked

परिशिष्ट -8 (पैरा संख्या "7.2")

ग्राम पंचायत पपाहन, खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रायल्टी की कटौती न करने से राजस्व हानि

Name of Supplier	Vr. No. & Date	Bill No. & Date	Name of Item	Qty. (cum)	Determining Fator	Qty. (in MT.)	Royality (Per MT.)	Due Royality
				VKVNY,MNREGA				
M/s Anil Kumar Papahan Jhonka Ratial	04/23.06.203	19/20.06.2023	Sand	12.000	1.62	19.440	80	1555.20
			Bajri	22.000	1.52	33.440	80	2675.20
do	24/27.02.2024	50/08.10.2023	Sand	7.000	1.62	11.340	80	907.20
			Bajri	7.000	1.52	10.640	80	851.20
do	01/27.06.2023	005/28.03.2023	Sand	39.000	1.62	63.180	80	5054.40
			Bajri	65.000	1.52	98.800	80	7904.00
do	02/27.06.2023	189/21.12.2022	Sand	2.000	1.62	3.240	80	259.20
			Bajri	3.600	1.52	5.472	80	437.76
			Stone	3.000	2.24	6.720	80	537.60
do	04/28.06.2023	190/21.12.2022	Sand	2.000	1.62	3.240	80	259.20
			Bajri	3.600	1.52	5.472	80	437.76
do	06/27.06.2023	191/21.12.2022	Sand	2.000	1.62	3.240	80	259.20
			Bajri	3.600	1.52	5.472	80	437.76
do	10/28.06.2023	198/821.12.2022	Sand	2.000	1.62	3.240	80	259.20
			Bajri	5.000	1.52	7.600	80	608.00
do	12/27.06.2023	194/21.12.2022	Sand	2.000	1.62	3.240	80	259.20
			Bajri	5.000	1.52	7.600	80	608.00
do	08/28.06.2023	196/21.12.2022	Sand	4.500	1.62	7.290	80	583.20
			Bajri	7.000	1.52	10.640	80	851.20
			Stone	9.000	2.24	20.160	80	1612.80
do	14/27.06.2023	195/21.12.2022	Sand	4.500	1.62	7.290	80	583.20
			Bajri	7.000	1.52	10.640	80	851.20
			Stone	9.000	2.24	20.160	80	1612.80
do	16/27.06.2023	007/18.02.2023	Sand	4.500	1.62	7.290	80	583.20
			Bajri	7.000	1.52	10.640	80	851.20
			Stone	9.000	2.24	20.160	80	1612.80
do	19/27.06.2023	006/18.02.2023	Sand	23.000	1.62	37.260	80	2980.80
			Bajri	44.000	1.52	66.880	80	5350.40
			Stone	25.500	2.24	57.120	80	4569.60
							Total	45352.48
							25% Penalty	11338.12
							G.Total	56690.60

checked

Neelam Kumari

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत पपाहन
वि०ख० फतेहपुर कांगड़ा (हि०

36